प्रकरण संख्या–20 / 2018 तारीख रजु–09.08.2018

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

खिलाड़ी पुत्र शंकर आयु 60 साल जाति कुम्हार निवासी चटीकना, करौली तहसील व जिला करौली – अपीलाण्ट

बनाम

1. हजारी पुत्र शंकर आयु 70 साल
2. मिश्रीबाई पुत्री शंकर आयु 65 साल

} जाति कुम्हार निवासीयान चटीकना, करौली तहसील व जिला करौली

3. तहसीलदार करौली, तहसील व जिला करौली – रेस्पोण्डेण्ट

अपील विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 2732 निर्णय दिनांक 02.03.2010 कस्बा करौली पटवार हल्का 10 तहसील करौली जिला करौली

निर्णय

दिनांक–08.09.2018

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट् द्वारा यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि निर्णय तदनांक 02.03.2010 बाबत् नामांतरकरण संख्या 2732 कस्बा करौली तहसील व जिला करौली अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोण्डेण्ट संख्या 3 खिलाफे कानून रूहेदाद मिसल है, आर्बीट्रेरी है, परिवरिश रेस्पोण्डेण्ट है और निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय दिनांक 02.03.2010 पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोण्डेण्ट संख्या 3 ने अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर व नोटिस नहीं दिया है और जैर अपील निर्णय अपील निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय रूप से विधिविरुद्ध पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट का नाम उक्त जैर अपील नामांतरकरण दर्ज करते समय पटवारी हल्का ने नामांतरकरण में अपीलाण्ट का नाम रामखिलाड़ी गलत रूप से बिना किसी आधार के दर्ज किया है जबकि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम खिलाड़ी है। गिरदावर हल्का व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी जांच के जैर अपील नामांतरकरण दिनांक 02.03.2010 को स्वीकृत कर दिया है जो विधिविरुद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है एवं पत्रावली पुनः सुनवाई को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने योग्य है। जैर अपील निर्णय दिनांक 02.03.2010 की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 20.07.2018 को पटवारी हल्का से नकल जमाबंदी लेने पर पटवारी द्वारा जमाबंदी में नामांतरकरण संख्या 2732 से अपीलाण्ट का नाम रामखिलाड़ी दर्ज होने की कहने पर एवं दिनांक 24.07.2018 को अपीलाण्ट द्वारा नकल नामांतरकरण का आवेदन कर तहसील से दिनांक 03.08.2018 को नकल नामांतरकरण प्राप्त होने पर हुई है। इससे पूर्व अपीलाण्ट को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं रही है। दिनांक 02.03.2010 से दिनांक 20.07.2018 तक का समय जानकारी अपीलाण्ट के अभाव में कण्डोन किये जाने योग्य है। जानकारी दिवस दिनांक 20.07.2018 से अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद पेश है। धारा 5 मियाद अधिनियम का

जिला कलक्टर
करौली

प्रकरण संख्या–20 / 2018 तारीख रजु–09.08.2018

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ पेश है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेण्ट्स की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। दिनांक 08.09.2018 को आयोजित चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण को सुनवाई हेतु रखा गया।

अपीलाण्ट व रेस्पोण्डेण्ट नं. 1 व 2 ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि उभयपक्षकारान अपीलाण्ट व रेस्पोण्डेण्ट में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो चुका है और राजीनामा के अनुसार नामांतरकरण संख्या 2732 दिनांक 02.03.2010 कस्बा करौली पटवार हल्का नं. 10 में अपीलाण्ट का नाम रामखिलाड़ी के स्थान पर खिलाड़ी सही कर संशोधन किये जाने में रेस्पोण्डेण्ट्स को कोई आपत्ति नहीं है बल्कि पूर्ण सहमति है। इसी अनुसार अपील नामांतरकरण का निस्तारण किये जाने में उभयपक्ष सहमत है। अपीलाण्ट का सही नाम खिलाड़ी है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

रेस्पोण्डेण्ट नं. 3 ने पत्रांक एल.आर. / 18 / 3592 दिनांक 08.09.2018 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि नामांतरकरण संख्या 2732 दिनांक 02.03.2010 में खसरा नं. 8399 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा दर्ज है। उक्त नामांतरकरण में प्रार्थी का नाम रामखिलाड़ी पुत्र शंकर दर्ज है। वादी के आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, बैंक पासबुक एवं राशनकार्ड से नाम खिलाड़ी होना प्रमाणित है। रामखिलाड़ी की जगह खिलाड़ी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं जांच रिपोर्ट तहसीलदार करौली तथा पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। उभयपक्षकारान अपीलाण्ट व रेस्पोण्डेण्ट में हुए राजीनामा व तहसीलदार करौली द्वारा नामांतरण्करण संख्या 2732 निर्णय दिनांक 02.03.2010 कस्बा करौली पटवार हल्का नं. 10 में रामखिलाड़ी के स्थान पर खिलाड़ी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताये जाने पर उक्त नामांतरकरण में रामखिलाड़ी पुत्र शंकर के स्थान पर खिलाड़ी पुत्र शंकर दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। नामांतरकरण संख्या 2732 दिनांक 02.03.2010 कस्बा करौली पटवार हल्का नं. 10 तहसील व जिला करौली अपीलाण्ट की हद तक अपास्त किया जाता है तथा इस नामांतरकरण में अपीलाण्ट रामखिलाड़ी पुत्र शंकर जाति कुम्हार के स्थान पर खिलाड़ी पुत्र शंकर जाति कुम्हार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2018 को चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत में खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली